**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

पत्रांक–06/फिटनेस (ATS)–19/2022 6979

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

Shailendra Pratap Singh,
Address-AT+Po-Kulhariya, PO-Koilwar,
Dist-Bhojpur, E-mail:-spratapsingh1973@gmail.com

पटना, दिनांकः– 22/8/2025

विषय– भोजपुर जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के निर्माण हेतु निर्गत **प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र सं0–19/2022** को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उनके **पत्रांक–424,** दिनांक–**29.04.2025** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा ATS Construction में कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर द्वारा किये गये स्थल जाँच के आलोक में आवेदक द्वारा ATS स्थापित करने के संबंध में दिये आवेदन को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

विभागीय पत्रांक–1327, दिनांक–17.02.2025 द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए इच्छुक नहीं है एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर के अनुशंसा के आलोक में स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण हेतु आपको निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आपके द्वारा विभागीय नोटिस का कोई प्रति उत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

विभागीय पत्रांक–4245 दिनांक–22.05.2025 द्वारा आपको सुनवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष दिनांक–28.05.2025 को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भोजपुर जिला में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु आपके पक्ष में **निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र सं0–19/2022** को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6979 पटना, दिनांकः– 22/8/2025

प्रतिलिपि–जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर/मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/25

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।